-प्रेस नोट-

दिनांकः 29.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल (01 सिलेण्डर,01 मोबाइल फोन, 01 ग्राइण्डर मशीन व 2,000/- रूपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद)

अवगत कराना है कि दिनांक 21.02.2025 को वादी श्री श्रवण कुमार तायल पुत्र स्व- श्री रविदत्त तायल ग्राम नागल थाना नागल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगणो द्वारा दुकान में काउंटर के पास से रखी 502 बीडी की 01 बोरी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नागल पर मु0अ0सं0 54/25 धारा 303(2)बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनाँक 28.04.2025 को वादी श्री सचिन पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत रात्रि में वादी के घर का दरवाजा खोलकर वादी का 01 मोबाइल फोन(वन प्लस कम्पनी का) ,20 हजार रूपये की नगद, 01 गैस स्लण्डर, 01 पंखे की मोटर, 0 ग्राइण्डर मशीन तथा 50 किलोग्राम की अनाज की बोरा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नागल पर मु0अ0सं0 119/25 धारा 305(ए)बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी/लूट/डकैती आदि की घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 29.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर नागल पुलिस टीम द्वारा 04 शातरि चोर अभियुक्तगण **1.सचिन पुत्र मनफूल निवासी ग्राम पणडौली थाना नागल जनपद सहारनपुर 2. रजत पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम पणडौली थाना नागल जनपद सहारनपुर 3.सलमान पुत्र रहीश निवासी ग्राम पणडौली थाना नागल जनपद सहारनपुर 4.प्रताप उर्फ मक्खी पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम पणडौली थाना नागल सहारनपुर** को पाण्डौली अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 एलपीजी गैस सिलेण्डर (इंडेन मार्का) ,01 ग्राईन्डर मशीन (inece मार्का) ,01 कूलर/पंखे की मोटर,01 मोबाइल फोन (वन प्लस कपनी) व घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल नं0 (UP-11CB-3454) सम्बन्धित मु0अ0सं0 119/25 धारा 305(ए)बीएनएस एंव मु0अ0सं0 54/25 धारा 303(2)बीएनएस से सम्बन्धित 2000/- रूपये नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर मे बताया कि हम सभी कम पढे लिखे हैं व नशा करने के आदि हैं। हमें अक्सर पैसो की तंगी का सामना करना पड़ता है। हम अपनी नशे की लत व आम जरुरतों को पूरा करने के लिये मौका देखकर चोरी कर लेते हैं व चोरी के माल को बेचकर आपस में बराबर -2 मुनाफा बाँच लेते हैं। हमने दिनांक 28/29.04.2025 की रात्रि में ग्राम पाण्डोली में एक मकान से समान चोरी किया था, जिसे हम आज बेचने जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सचिन पुत्र मनफूल निवासी ग्राम पणडौली थाना नागल जनपद सहारनपुर
2. रजत पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम पणडौली थाना नागल जनपद सहारनपुर
3. सलमान पुत्र रहीश निवासी ग्राम पणडौली थाना नागल जनपद सहारनपुर

4. प्रताप उर्फ मक्खी पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम पणडौली थाना नागल सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 एलपीजी गैस सिलेण्डर (इंडेन मार्का)
- 01 ग्राईन्डर मशीन (inece मार्का)
- 01 कूलर/पंखे की मोटर (हरे रंग की)
- 01 मोबाइल फोन (वन प्लस कपनी)
- 01 मोटरसाइकिल नं0 UP-11CB-3454(घटना में प्रयुक्त)
- 2000/- रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महेशचन्द थाना नागल जिला सहारनपुर
3. है0का0 389 जितेन्द्र कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
4.का0 2440 हरकेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 400 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतू लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान ASP/थाना प्रभारी विवेक तिवारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग/गस्त के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **तौसीफ पुत्र ताहिर निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को ग्राम नल्हेडा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 400 ग्राम नजायज स्मैक बरामद हुई।।बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध** थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 93/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं अनपढ़ हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ व नशा करने का आदि भी हूँ।अक्सर मुझे पैसो की कमी रहती है। मैं स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर जनपद सहारनपुर के आस-पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तौसीफ पुत्र ताहिर निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी-

- नाजायज 400 ग्राम स्मैक ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ0नि0 श्री राजकुमार सारण थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. है0का0 378 तरूण कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर ।
4. का0 1759 सावन तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर

दिनांक: 29-04-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा जंगल से पेड़ काटकर लकड़ी चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 01 छोटा हाथी , 01 कार(घटना में प्रयुक्त) , 01मसकट .315 बोर व जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 01 छुरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी/लूट/डकैती की घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के नेतृत्व में दिनांक 28/29.04.2025 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा लकड़ी चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्त **1.कदीर उर्फ कादिर पुत्र अख्तर नि0 ग्राम सिकरोडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 2- सुलेमान पुत्र वहीद निवासी सिकरौडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को पानसर पुलिया जंगल ग्राम पानसर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 मसकट .315 बोर ,01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 छुरी, घटना में प्रयुक्त 01 छोटा हाथी जिसमें 20 गट्टे छोटे व बडे शीशम की लकडी के व 02 गट्टे जमोये की लकडी के बरामद हुए ।गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न थानो में दर्जनों मुकदमें पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण द्वारा थाना बेहट क्षेत्र के ग्राम रण्डौल, बाबैल बुजुर्ग व नवरपुर बरौली के जंगल से शीशम, यूकेलिप्टिस व जमोये के पेड चोरी से काटे गये हैं । जिसके संबंध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 144/25 धारा- 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0- 169/25 धारा- 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0- 170/25 धारा- 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त कदीर उर्फ कादिर उपरोक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 173/25 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त सुलेमान उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0- 174/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो रात्रि में चोरी छुपे जंगल व खेतों से हरे पेडों को काटकर बेचते हैं जिससे हमे अच्छा मुनाफा हो जाता है। हम दोनो अपनी सुरक्षा के लिये अपने पास अस्लाह व चाकू भी रखते हैं। हमे जिस क्षेत्र से पेड़ काटने होते थे पहले उस क्षेत्र की रेकी कर लेते थे और काटे गये पेड़ो को छोटा हाथी गाड़ी मे भरकर ले जाते थे जिसे हम कुछ दिनों के लिये छुपा देते थे व मौका पाकर हम हरियाणा व सहारनपुर के विभिन्न क्षेत्रों में बेच देते थे जिससे हमें अचछा मुनाफा हो जाता था। हम लोगों के द्वारा ग्राम रण्डौल, ग्राम बाबैल बुजुर्ग व ग्राम अनवरपुर बरौली के जंगल से शीशम व जमोये तथा यूकेलिप्टिस के कई पेड चोरी से काटे गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. कदीर उर्फ कादिर पुत्र अख्तर नि0 ग्राम सिकरोडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
2. सुलेमान पुत्र वहीद निवासी सिकरौडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

गिरफ्तार अभियुक्त सुलेमान का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 174/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 144/25 धारा- 303(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0सं0- 169/25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस व 4/10 भारतीय वन अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं- 170/25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 543/09 धारा- 379/411 भादवि व 33/41/42/52 वन संरक्षण अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 204/10 धारा- 379/411 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 175/08 धारा- 307 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 178/08 धारा- 411/414 भादवि व 41/42 दं0प्र0सं0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0- 04/09 धारा- 379 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0- 217/10 धारा- 379 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0- 171/07 धारा- 379/411 भादवि व 26 वन संरक्षण अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0- 154/15 धारा- 420/467/468/471 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0सं0- 239/18 धारा- 379/411 भादवि व 4/10 वन संरक्षण अधि0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0सं0- 279/24 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त कदीर उर्फ कादिर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 173/25 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 144/25 धारा- 303(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 169/25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस व 4/10 भारतीय वन अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं- 170/25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 171/2007 धारा 379/411 भादवि व 26 वन अधि0 थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 39/2005 धारा 379/411 भादवि व 4/10/25 वन (संरक्षण) अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 68/2010 धारा- 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 छोटा हाथी नं0- UK07CD0726 (घटना में प्रयुक्त)
- 01 आल्टो कार नं0-UK08AB0828 (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)
- 01 मसकट .315 बोर 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01 छुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

4. है0का0 680 भूपेन्द्र सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 1835 सन्दीप चिकारा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 185 हर्ष चौहान थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक 29.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाने हेतु लगातार चैकिंग/गस्त की जा रही है। दिनांक 22.04.2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी घटना के मद्देनजर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत सोशल मीडिया व क्षेत्र में कड़ी निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक,नगर एंव क्षेत्राधिकारी प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.04.2025 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर देश विरोधी नारे लगाने वाले 01 अभियुक्त **अमन पुत्र स्व जिन्दा हसन निवासी गली न0- 5 मेहन्दी सराय थाना मण्डी सहारनपुर** का शान्ति व्यवस्था भंग में धारा 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया एंव अन्तर्गत धारा 170/135/126 बीएनएस मे चालान किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमन पुत्र स्व जिन्दा हसन निवासी गली न0- 5 मेहन्दी सराय थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अतुल कुमार प्रभारी चौकी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 2225 रंगेश चौधरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2371 राहुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक - 29.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 300 ग्राम गांजा व 01 स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसके कारोबार मे शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चालाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान 01 नशा तस्कर/ अभियुक्त **फरमान पुत्र गालिब रसूल निवासी ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे बम्बा पटरी पर सडक दूधली को जाने वाले खडंजे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 300 ग्राम गांजा व घटना मे प्रयुक्त 01 स्कूटी इलैक्ट्रिक बरामद की गई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 92/25 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान पुत्र गालिब रसूल निवासी ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

- 300 ग्राम गांजा
- स्कूटी इलैक्ट्रिक(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

4. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
5. है0का0 953 हरेन्द्र कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
6. है0का0 113 विकास कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।